न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 1ए/2026 G.C.M.S. No.:2026/1 दर्ज दिनांक : 02.01.2026

अपीलार्थिगण:

1. कुकाराम पुत्र तुलछाराम
2. कालाराम पुत्र केसाराम
3. छोगाराम पुत्र तुलछाराम
4. मनाराम पुत्र करनाराम
5. लाबुराम पुत्र राणाराम
6. वसनाराम पुत्र आम्बाराम
7. सुजाराम पुत्र आसाराम, तमाम जातियान रेबारी, निवासीगण देबावास, तहसील आहोर, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हीराराम पुत्र कपूरा, जाति मीणा, निवासी देबावास, तहसील आहोर, जिला जालोर
2. खेताराम पुत्र बगदाराम, नाबालिग संरक्षक माता सनकू
3. गणेशाराम पुत्र आंबा
4. गेपारियाराम पुत्र तुलछाराम
5. चुकी पत्नी आंबा
6. चेनाराम पुत्र बगदाराम, नाबालिग संरक्षक माता सनकू
7. जेताराम पुत्र आसाराम
8. देवु पुत्री आसाराम
9. धुड़की पुत्री सोनाराम, नाबालिग संरक्षक दादी छगनी
10. नगाराम पुत्र केसाराम
11. पूनमाराम पुत्र केसाराम
12. मगाराम पुत्र करनाराम
13. मेथी पत्नी करना
14. मांगीलाल पुत्र राणाराम
15. मीठाराम पुत्र आसाराम
16. मोकीदेवी पुत्री आसाराम
17. रावताराम पुत्र राणाराम
18. लाखाराम पुत्र आसाराम
19. वगताराम पुत्र लछाराम
20. वजाराम पुत्र राणाराम
21. वजिया पुत्र आसाराम
22. सकाराम पुत्र बगदाराम, नाबालिग संरक्षक माता सनकू

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

23. सुकी पत्नी आम्बा
24. सनकु पत्नी बगदा
25. सवाराम पुत्र आम्बाराम
26. हडमताराम पुत्र करनाराम
27. हपाराम पुत्र केसाराम तमाम जातियान रेबारी, निवासी देबावास, तहसील आहोर जिला जालोर
28. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76/2025 बअनवान हीराराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 10.11.2025

पैरोकारः–

1. श्री भलाराम देवासी, श्री पूनमचंद प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जितेन्द्र कुमार चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांकः 21.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76/2025 बअनवान हीराराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 10.11.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बगैर एकपक्षीय आदेश पारित कर अपीलांट को बिना सुने एवं अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उपर्युक्त वर्णित आराजी के संबध में हम अपीलांट को बिना सुने एवं बिना जानकारी दिये बगैर एकतरफा कार्यवाही अमल में लेकर निर्णय दिनांक 10.11.2025 को किया गया है तथा मौका फर्द भी हमारी गैर मौजदूगी में बनाकर न्यायालय पेश की गई है। जिसके कारण मौके पर वाद–विवाद बढने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त फरमावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने सरहद मौजा देबावास, पटवार हल्का देबावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देबावास, तहसील आहोर, जिला जालोर में स्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 733 में आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 से 8 के खेत खसरा संख्या 779/1832 में से रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.11.2025 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गयी।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपनी आराजी तक पहुच के लिए धारा 251क का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी राजस्थान सरकार, कानाराम, कालाराम, तेजाराम पि. मोडाराम भेराराम पुत्र रामाजी, मगाराम पुत्र मोडाराम, वसनाराम पुत्र मोडाराम एवं संतु देवी पत्नी मालाराम के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं अनुतोष की मांग की गयी। प्रकरण में उक्त अप्रार्थीगण के अतिरिक्त हस्तगत अपील में अंकित अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 27 को पक्षकार संयोजित करने के लिए न तो प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पक्षकारान को पक्षकार संयोजित किए जाने एवं तलब किये जाने बाबत् कोई आदेश पारित किया गया इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त समस्त स्थिति को नजरंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश जिसमें वस्तुत अनवान के दो पृष्ठ है जिसमें मूल आदेश के अप्रार्थी के रूप में कानाराम पुत्र मोडाराम अंकित है तथा अन्य पृष्ठ जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित है के अप्रार्थीगण के रूप में मूल अप्रार्थीगण के कानाराम पुत्र मोडाराम वगै. को छोड़ते हुए अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 28 को अंकित किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 27 को पक्षकार संयोजित करने के लिए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए बिना, प्रार्थी द्वारा उक्त विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष मांगे बिना, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त को पक्षकार संयोजित किए जाने का आदेश पारित किए बिना एवं उक्त पक्षकारान को नोटिस जारी एवं तामिल करवाये बिना तथा जवाब एवं प्रतिरक्षा एवं सूनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना उक्त के विरूद्ध पीठ पीछे अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पीठासीन अधिकारी व संबधित रीडर द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र सम्यक निस्तारण के लिए अपेक्षित विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन किए बिना उक्त प्रावधानो को ताक पर रखते हुए मस्तिष्क का समुचित उपयोग किए बिना कथित अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जो किसी भी दृष्टि से न्यायिक आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता तथा पीठासीन अधिकारी के पद पर पदस्थ राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी से ऐसे यंत्रवत, विधि विरूद्ध व मनमाफिक आदेश की अपेक्षा नहीं की जा सकती तथा अपीलाधीन आदेश विधिक एवं प्रक्रियागत प्रावधानों के विपरीत होने से पुष्टि योग्य नही है।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर पत्रावली विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76/2025 बअनवान हीराराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 10.11.2025 को अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में संबधित प्रभावित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किए जाने एवं प्रार्थना पत्र में अपेक्षित कोई संसोधन आदि हेतु प्रार्थी द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही किए जाने उपरांत संबधित पक्षकारान को विधिवत तामिल करवाते हुए जवाब एवं प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्षकारान को विधिवत सूचित करवाते हुए, भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न राजस्व अधिकारी से नियमानुसार नवीन व स्पष्ट मौका रिपोर्ट मय नक्शा जिसमें प्रार्थी की आराजी तक पहुच के लिए सभी संभावित विकल्प दर्शित किए गए हो, प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं अप्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क एवं राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 (अधित्यन संशोधित प्रावधानो सहित) का भलीभाति अवलोकन व अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करे। अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में राजस्व न्यायिक प्रकरणो का संगत विधिक प्रक्रियागत प्रावधानो का अक्षरशः अवलोकन, गहन अध्ययन व अनुपालन करते हुए विधि एवं न्यायिक पूर्वापेक्षा अनुरूप विवेक का समुचित प्रयोग करते हुए प्रकरण विचारण एवं निर्णित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली